



विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 (भारत)  
**University Grants Commission**

Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 (India)

Phone : 011-23234019, 23236350, Fax : 011-23239659, e-mail : cm.ugc@nic.in | web: www.ugc.ac.in



**प्रो. वेद प्रकाश**

अध्यक्ष

**Prof. Ved Prakash**

Chairman

अर्द्धशताब्दी पत्र सं० 1-11/2014 (सीएम)

12 नवम्बर, 2014

प्रिय कुलपति/निदेशक महोदय

आप कृपया मेरे साथ इस तथ्य में भागीदारी दें कि हमारे छात्रों की अकादमिक संभावनाओं को प्रभावित करने वाले आधारभूत तत्व अनुदेशों की गुणवत्ता में निहित हैं तथा इस रूपान्तरण में संबद्ध शिक्षक की योग्यता एक महत्वपूर्ण निर्णायक भूमिका निभाती है। इस प्रत्याशा से संबद्ध अनिवार्य संघटकों में एक यह भी है कि उसे प्रस्तुत किए गए रोजगार के स्वरूप में कितनी आस्था है।

ऐसा अवलोकन किया गया है कि कई विश्वविद्यालयों में विभिन्न विषयों से संबद्ध बड़ी संख्या में रिक्त स्थान होने के परिणाम स्वरूप अनुदेशात्मक कार्य ऐसे शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है जो कि अस्थायी, अनुबन्धात्मक और यहाँ तक कि अंशकालिक आधार पर नियुक्त हैं। सौंपे गये व्याख्यानों को पूरा करने के साथ ही बड़े पैमाने पर उनकी प्रतिबद्धता भी समाप्त हो जाती है। अन्ततः परिणाम यह होता है कि समस्त अनुदेश छात्रों को एक विधि अनुसार प्रस्तुत किए जाते हैं। इस श्रेणी का अध्यापक नियमित पद पर आसीन न होने के कारण स्वव्यावसायिक विकास संबंधी निरन्तर पहल का लाभ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त नहीं कर सकता।

हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम विश्वविद्यालय में रिक्त स्थानों को भरने के लिए अकादमिक एवं व्यावसायिक रूप से योग्य व्यक्तियों को चिह्नित करने के लिए भरसक प्रयास करें। विज्ञापनों, विश्वविद्यालय वेबसाइट द्वारा एवं प्रत्याशियों के नाम जानने के लिए विशेषज्ञों के समक्ष व्यक्तिगत संदर्भों द्वारा तथा भौगोलिक क्षेत्राधिकार से आगे जाकर उनको खोजने के लिए भी समस्त प्रयास किए जाने चाहिए।

इस उद्देश्य से यूजीसी ने विश्वविद्यालय के प्रति संसाधन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता से कभी इंकार नहीं किया है परंतु ऐसी आशा की जाती है कि गुणवत्ता एवं मानकों के दृष्टिकोण से बिना अधिक विलम्ब के समस्त विषयों में रिक्त स्थानों को भरने के लिए विश्वविद्यालय को उसी भावना के साथ अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

अतएव हमें गंभीर प्रयासों द्वारा सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अगला अकादमिक सत्र प्रारंभ होने से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा समस्त रिक्त स्थानों को भरा जाए ताकि चयनित व्यक्ति नये अकादमिक सत्र के अनुदेश, पाठ्यक्रमों के लिए उपलब्ध हो सके। यह सुनिश्चित किया जाए कि भर्ती करते समय आरक्षण नीति का विधिवत अनुपालन किया जा रहा है।

मैं आशा करता हूँ कि इस पत्र में निहित भावना प्रशंसनीय है तथा यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को देय सामान्य विकास अनुदान रोकने का कोई अवसर उत्पन्न नहीं होगा।

सादर।

भवदीय

(वेद प्रकाश)

यूजीसी निधियन प्राप्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय एवं मानित विश्वविद्यालय